भारत सरकार
संचार मंत्रालय
दूरसंचार विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2748
उत्तर देने की तारीख 04 दिसम्बर, 2019

केन्द्रीय उपकरण पहचान रजिस्टर

2748. श्रीमती अपराजिता सारंगीः

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) केन्द्रीय उपकरण पहचान रजिस्टर (सीईआईआर) तक पहुंच वाले विभागों की सूची क्या है;
(ख) क्या निजी कंपनियों की सीईआईआर तक पहुंच होगी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ग) क्या सरकार ने मोबाइल फोन धारकों को सूचित किया है और उनसे कर सहमति प्राप्त की है कि इनका डाटा अन्य विभागों के साथ बांटा जाए और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

संचार, विधि और न्याय तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री
(श्री रविशंकर प्रसाद)

(क) से (ग) केन्द्रीय उपकरण पहचान रजिस्टर (सीईआईआर) एक बहु-स्टेकहोल्डर प्रणाली है जिसमें दूरसंचार विभाग, दूरसंचार सेवा प्रदाता, पुलिस, मोबाइल फोन विनिर्माता और मोबाइल फोन उपभोक्ताओं सहित संबंधित स्टेकहोल्डरों को यथा परिभाषित भूमिका और जिम्मेदारी के अनुसार सीमित पहुँच प्राप्त होती है। इस परियोजना में, मोबाइल फोन स्वामियों की जानकारी को अन्य विभागों के साथ सांझा नहीं किया जाता है।

*****